भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4544**
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

**श्री अन्न की खपत**

**4544. डॉ. संबित पात्रा:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या सरकार ने मिलेट (श्री अन्न) के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ख)** क्या सरकार ने श्री अन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ग)** विगत वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;

**(घ)** क्या सरकार का पूर्वोत्तर के राज्यों और ओडिशा में श्री अन्न योजना को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**(ङ)** क्या इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से सृजित रोजगार के अवसरों का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क) से (ग):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों और ओडिशा सहित पूरे देश में मिलेट आधारित उत्पादों (श्री अन्न) के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेट प्रसंस्करण सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पीएलआईएसएफपीआई का एक घटक मिलेट आधारित उत्पादों (एमबीपी) पर केंद्रित है, जिसका परिव्यय 800 करोड़ रुपये है। मिलेट आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी) का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में मिलेट के उपयोग को बढ़ाना और घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में चयनित मिलेट आधारित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करके उनके मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। अब तक, पीएलआईएसएमबीपी के लिए कुल 800 करोड़ रुपये के आवंटन में से, 29 आवेदकों को प्रोत्साहित करने के लिए 793.27 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 8 बड़ी और 21 छोटी और मध्यम इकाइयाँ शामिल हैं।

मिलेट आधारित उत्पादों की खपत और मांग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, विशेष रूप से मिलेट उत्पादों के प्रसंस्करण में लगे उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष (आईवाईओएम) के एक भाग के रूप में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 30 जिलों में "मिलेट महोत्सव " का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप, उद्यमियों को बढ़ावा देना और खाद्य उद्योग के सूक्ष्म क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

(ii) इसके अलावा, वाणिज्य विभाग (डीओसी) ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से मिलेट के बारे में जागरूकता, उपयोग और निर्यात संवर्धन के लिए व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और मिलेट सम्मेलनों का आयोजन किया। वर्ष 2023 में आईवाईओएम के तहत, भारतीय दूतावासों/मिशनों और सरकारी विभागों के साथ घनिष्ठ सहयोग से एपीडा के माध्यम से वाणिज्य विभाग द्वारा कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में मिलेट थीम पर भागीदारी, नमूना कार्यक्रम, मिलेट गेलरिज, अंतरराष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि शामिल थीं। प्रमुख व्यापार मेलों के दौरान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मिलेट्स-श्री अन्न के प्रचार और ब्रांडिंग के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के सहयोग से प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभियान भी शुरू किया गया था।

(iii) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर (निफ्टेम-टी) ने 6 और 7 मई 2023 को एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई में "मिलेट्स: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार" विषय पर "राष्ट्रीय मिलेट शिखर सम्मेलन" का आयोजन किया।

(iv) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली (निफ्टेम-के) ने 24-26 अगस्त, 2023 के दौरान कुंडली , हरियाणा में "पोषण और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मिलेट पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन" का आयोजन किया ।

(v) निफ्टेम-टी और आईसीएआर-राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (एनआरआरआई), कटक ने 6 अक्टूबर 2023 को एमकेसीजी प्लेटिनम जुबली ऑडिटोरियम, एनआरआरआई, कटक में "राष्ट्रीय मिलेट एक्सपो-2023" का आयोजन किया ।

(vi) मंत्रालय ने उद्योग संघों के माध्यम से मिलेट पर केंद्रित छह (6) प्रचार कार्यक्रम भी आयोजित किए। कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध** में संलग्न है ।

(vii) वैश्विक खाद्य कार्यक्रम "वर्ल्ड फूड इंडिया 2023" का आयोजन 3 से 5 नवंबर, 2023 के दौरान नई दिल्ली में किया गया, जिसमें मिलेट पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय उत्पादकों/प्रसंस्करणकर्ताओं/संस्थाओं को वैश्विक हितधारकों के साथ सहयोग और साझेदारी करने के लिए एक मंच प्रदान करना था ।

**(घ):** दुर्गम क्षेत्रों [पीएमकेएसवाई योजना के तहत प्रस्तावों के लिए दुर्गम क्षेत्र का अर्थ है पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम सहित), उत्तराखंड राज्य , हिमाचल प्रदेश राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख , अधिसूचित आईटीडीपी (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना) क्षेत्र और द्वीप समूह (केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप)] से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, पीएमकेएसवाई की घटक योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित अधिमान्य प्रावधान किए गए हैं-

i. सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 1.5 गुना की तुलना में निवल संपत्ति की आवश्यकता को मांगे गए अनुदान के बराबर राशि तक घटा दिया गया;

ii. सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 20% की तुलना में सावधि ऋण की आवश्यकता को पात्र परियोजना लागत के 10% तक घटा दिया गया;

iii. सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 20% की तुलना में इक्विटी आवश्यकता को पात्र परियोजना लागत के 10% तक घटा दिया गया;

iv. सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए 35% की तुलना में पात्र परियोजना लागत के 50% के बढ़े हुए स्तर पर अनुदान की मात्रा (संबंधित उप-योजनाओं के तहत अधिकतम सीमा के अधीन);

v. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना परियोजनाओं के संबंध में न्यूनतम परियोजना लागत की आवश्यकता को तीन करोड़ रुपये की तुलना में घटाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है [अन्य योजनाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं है]

**(ङ):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से उत्पन्न रोजगार के अवसरों का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजनाओं के परिणामस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि से इतर रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए हैं।

*****

*अनुबंध*

**"श्री अन्न की खपत" के संबंध में 27 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4544 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**मंत्रालय ने उद्योग संघों के माध्यम से मिलेट पर केंद्रित प्रचार कार्यक्रमों का समर्थन किया**

| क्र.सं. | आयोजक | आयोजन का विवरण | तिथि | जगह |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नॉलेज चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) | खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं और प्रोत्साहनों में उभरते अवसरों पर सम्मेलन | 21.06.2023 | नागपुर, महाराष्ट्र |
| 2 | पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) | प्रसंस्करण और निर्यात के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना | 21.08.2023 | नई दिल्ली |
| 3 | एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) | खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत बनाने पर सम्मेलन | 26.06.2023 | मेहसाणा , गुजरात |
| 4 | एसोचैम | सौराष्ट्र क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत बनाने पर सम्मेलन | 26.05.2023 | राजकोट, गुजरात |
| 5 | सदरन इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसआईसीसीआई) | खाद्य प्रसंस्करणकर्ता गोलमेज सम्मेलन: वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार | 06.12.2023 | कोयंबटूर, तमिलनाडु |
| 6 | केसीसीआई | खाद्य प्रसंस्करण में उभरते अवसरों पर सम्मेलन - योजनाएं और प्रोत्साहन निर्यात - खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रमाणन | 25.11.2023 | सूरत, गुजरात |

*****